राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3378/2024

हेमन्द्र कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, झालावाड़।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.11.2024
आदेश की दिनांक : 25.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 गणित विज्ञान के पद पर नियुक्त किया गया था तथा वर्तमान पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, महुवाखेड़ा (नयापुरा) अकलेरा, जिला झालावाड़ पर आदेश दिनांक 14.12.2023 द्वारा पदस्थापित किया गया था। (अनुलग्नक–2) दिनांक 14.12.2023 के नियुक्ति आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने दिनांक 14.12.2023 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी अलवर जिले का निवासी है तथा झालावाड़ जिले में कार्यरत है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नाटो की ढाणी, झिक्का, कोटकासिम, जिला अलवर में ग्रेड–III लेवल–1 की शिक्षिका है, जिसकी नियुक्ति 15.2.2019 के आदेश द्वारा की गई है। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी की पत्नी विकलांग है और उसकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक है। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी के दो बेटे हैं जिनकी उम्र 02 और 04 साल है। (अनुलग्नक–6) अपीलार्थी को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वह झालावाड़ में काम कर रहा है, उसकी पत्नी जो एक विकलांग महिला है, अलवर जिले में काम करती है, उसके दो छोटे बच्चे हैं और पूरी जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है लेकिन दूर जगह पर उसकी नियुक्ति के कारण वह बुरी तरह से पीड़ित है और सुचारू रूप से काम करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए उसने प्रत्यर्थी विभाग से अलवर जिले में अपनी नियुक्ति के लिए अनुरोध किया लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने उसके अनुरोध पर

विचार नहीं किया। अंततः अपीलार्थी ने दिनांक 20.10.2024 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्याय की मांग के लिए एक नोटिस भी भेजा लेकिन अपीलार्थी को कोई जवाब नहीं दिया गया। (अनुलग्नक–1)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के मामले पर विचार किया जावे तथा मानवीय आधार पर अपीलार्थी की व्यक्तिगत परेशानियों को देखते हुए उसे अलवर जिले में रिक्त पद नियुक्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य